

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11708 / 2122

दिनांक :- 31/8/18

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रामकिशोर यादव [लिंक न. 11708] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर - [762] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/07/2018 से 31/08/2018 तक 62 दिवस

कुल 62 दिवस

उक्त कुल 62 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रामकिशोर यादव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11708 / 2122

दिनांक :- 31/8/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रामकिशोर यादव [11708] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)